


में जारी

राज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजखेड़ा  
 लोखंडा सिद्ध बनाम बोकुली  
 किल्ला मुकदमा क्रमांक नं. 162/14 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
11 <sup>5</sup> / <sub>18</sub>	<p>आज यह पत्रावली राजखेड़ा लोक अदालत न्याय आपकें द्वार बोकुली समीक्षा में पेश हुई। पत्रावली द्वारा सतलुज नदी की सीमा यह नदी वापीगाव के द्वारा उद्विगीतन को स्वार्थ सिद्ध करने के पावक करने हेतु उस्तुर किया है। मातल सीमा विवाद का है। अतः बिना पत्रावली के उक्त का सिद्धांत नदिये स्थापित है।</p> <p>अतः उक्त है कि वापीगाव करीब ख.न 651/258 रफक 4 दिव्य एवं 265 रफक 19 दिव्य स्थित ग्राम समीक्षा की पत्रावली करार पत्रा सीमा इन करार पत्र के उक्त सिद्ध है। नदिये सतलुज पत्रावली करार उद्विगीतन श्रेण्य। अतः को पत्रा स्वार्थ सिद्ध करने के पावक किया जा रहा है। वापीगाव व वापीगाव के पत्रा करार में कोई इतरपत्र न रहे। पत्रा सिद्ध पत्रे का पत्रावली केवल मुकदमा नदी तफदील द्वारा है। उक्त मुकदमा वापीगाव</p>	

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 राजखेड़ा (धौलपुर)

राजखेड़ा लोक अदालत अभियान  
 न्याय आपकें द्वार-2018